न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/44/2023 दायर दिनांक 26.06.2023

उनवान

1. शंकरलाल पुत्र मांगीलाल जाति आचार्य आयु वयस्क मुल निवासी खुगाखेड़ी गजरा गिलूण्ड निवास सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान।

--- वादी

बनाम

1. ऊंकार पुत्र भेरीया जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. झुमाबाई पत्नी लोभा जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. नारायणी बाई पत्नी उंकार लाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. मादु पुत्र देवजी जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
5. ऊंकार पुत्र कालू जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
6. पुरण पुत्र चेनराम जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
7. पार्वती पत्नी चेनराम जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
8. राजु पुत्र चेनराम जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
9. शंकर पुत्र कालु जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
10. लक्ष्मण पुत्र कालु जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
11. रतन पुत्र लोभा जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
12. रमेश पुत्र मांगीलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)। (विलोपित)
13. भगवान पुत्र धन्ना जी जाति चमार, आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

-- प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 07.01.2025

-:निर्णय:-

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का हिंगोरिया, भू.अभि.नि.क्षेत्र सिंहपुर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादी की खातेदारी अधिकार कब्जे काश्त की हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं0 228 से आ0सं0 713, 726, 727, 728, 729, 730 कुल किता 6 कुल रकबा 3.67 हैक्टर स्थित है, तथा निवेदन किया कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी फरमावे कि वादी की खातेदारी अधिकार कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं0 228 से आ0सं0 713, 726, 727, 728, 729, 730 कुल किता 6 कुल रकबा 3.67 हैक्टर मे वादी द्वारा सभी सीमाओं पर लगाई तारबंदी को प्रतिवादीगण नुकसान नहीं पहूँचावे काश्त करने व उपयोग उपभोग मे बाधा नहीं पहूँचावें, मवेशी बकरियां नहीं घुसावे, पैडो की टहनियां नहीं काटे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, छुआछुत के झूठे मुकदमे कर फसाने की धमकी नहीं देवे, ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न अपने परिवारजन, नौकर, ऐजेन्ट आदि से भी नहीं करावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 12 के विरूद्ध पूर्व में वकील वादी द्वारा आदेशिका पर हस्ताकर कर कार्यवाही ड्रॉप किये जाने के निवेदन से कार्यवाही ड्रॉप की गयी। व शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान में वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व 13 सभी सीमाओं पर लगाई तारबंदी को प्रतिवादीगण नुकसान नहीं पहूँचावे काश्त करने व उपयोग उपभोग मे बाधा नहीं पहूँचावें, मवेशी बकरियां नहीं घुसावे, पैडो की टहनियां नहीं काटे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, छुआछुत के झूठे मुकदमे कर फसाने की धमकी नहीं देवे, ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न अपने परिवारजन, नौकर, ऐजेन्ट आदि से भी नहीं करावें। इस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 व 13 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। हमनें प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया जिसमें वादी खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादी की खातेदारी अधिकार कब्जे काश्त की हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं0 228 से आ0सं0 713, 726, 727, 728, 729, 730 कुल किता 6 कुल रकबा 3.67 हैक्टर स्थित है में प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार की दस्तन्दाजी कर आराजीयात एवं उसमें खड़ी फसल को नुकसान नहीं पहूँचावे, मवेशी आदि नहीं घुसावे एवं तारो की बाड को नुकसान नहीं पहुँचावे। न ही ऐसा प्रतिवादीगण उनके परिवार के अन्य सदस्य नौकर एजेन्ट आदि से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश [illegible])
(उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलेक्टर व
कपासन जिला चित्तौडगढ़
उपखण्ड अधिकारी कपासन